न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 30/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/101

उनवान

1. जगन्नाथ डांगी पुत्र देवा जी जाति डांगी, उम्र 66 वर्ष, निवासी सोनगरिया (कालीवास), तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज०) ....प्रार्थी

बनाम

1. ख्यालीलाल पुत्र कन्हैयालाल जी जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
2. चमनलाल पुत्र कन्हैयालाल जी जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
3. पन्नालाल पुत्र कन्हैयालाल जी जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
4. कंकु पत्नी ऊंकार जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मण्डी की मगरी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
5. गणेशलाल पुत्र सवा जी जाति डांगी उम्र वयस्क, निवासी मण्डी की मगरी. तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
6. मोहन पत्नी लोगर जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मण्डी की मगरी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

6/1 लसीराम पुत्र मोहनी उर्फ मोहन निवासी काकडो का नोहरा बापेर तहसील घासा।

6/2 धनराज पुत्र मोहनी उर्फ मोहन निवासी काकडो का नोहरा बापेर तहसील घासा।

6/3 मन्जु पुत्री मोहनी उर्फ मोहन निवासी काकडो का नोहरा बापेर तहसील घासा।

7. सुखलाल पुत्र हेमा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मण्डी की मगरी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

7/1 नारायण पिता सुखलाल डांगी निवासी निवासी मण्डी की मगरी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

7/2 मोहनलाल पिता सुखलाल डांगी निवासी निवासी मण्डी की मगरी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

7/3 कटुबाई पुत्री सुखलाल डांगी निवासी निवासी मण्डी की मगरी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

7/4 बेनी पुत्री सुखलाल डांगी निवासी निवासी मण्डी की मगरी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

7/5 टिना बाई पुत्री सुखलाल डांगी निवासी निवासी मण्डी की मगरी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

7/6 बसन्ती बाई पत्नी सुखलाल डांगी निवासी निवासी मण्डी की मगरी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

8. हीराबाई पत्नी किशन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मण्डी की मगरी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा, जिला उदयपुर (राज०)
10. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
11. पटवारी, पटवार हल्का घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:03 IST
Reason: SelfAttested

2. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 4, 8 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 3.02.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा विठोली, पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1669/16 रकबा 1.2950 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम स्वतन्त्र खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पड़ौस में विपक्षीगण की भूमि स्थिति है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य रोज सरहद को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए हमारी कृषि भूमि की उत्तर दिशा की सीमा की पत्थरगड़ी करा सीमांकन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो। अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश फरमाया जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि की उत्तरी दिशा की सीमा की पत्थरगढ़ी कराई जाकर स्थाई रूप से सीमाकंन कराया जावें तथा विपक्षी संख्या 1 से 8 को पाबन्द किया जावें कि वो मेरी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, नुकसान नही पहुँचावे, वृक्ष नही काटे, मुझे मेरी कृषि भूमि की सीमाओ पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण कराने में रूकावट पैदा नही करें और मेरी जमीन का मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावें। साथ ही मेरी खातेदारी की भूमि विपक्षी संख्या 1 से 8 के कब्जे में पायी जावे तो उसका कब्जा भी मुझ प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1 से 8 से सुपुर्द कराया जावें। ताईद में मुझ प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 9, 10, 11 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 1 से 4, 8 का वकालत पत्र अधिवक्ता श्री मदनलाल नागदा द्वारा प्रस्तुत किया गया। पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब का अवसर बंद किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम पर सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:03 IST
Reason: SelfAttested

मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 158 पर दर्ज आराजी नम्बर 1669/16 रकबा 1.2950 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त आराजीयात में विपक्षी का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। यह प्रकरण कब्जा प्राप्त करने एवं घोषणा से संबंधी नही है। केवल मात्र प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नही रहेगा। सीमा संबंधी विवाद नही हो इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

: : <u>आदेश</u> : :

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार घासा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 158 पर दर्ज आराजी नम्बर 1669/16 रकबा 1.2950 हैक्टेयर भूमि का पुख्ता सीमांकन किया जाकर उत्तर दिशा में पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नही करें। उभय पक्षो का पत्थरगड़ी करने के पश्चात कब्जे संबंधी मौके पर विवाद पाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार घासा को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:03 IST
Reason: SelfAttested